पत्र संख्या-स्था-5(ख) ज्येष्ठता सूची-लिपिक वर्गीय-2012// 3151 // वाणिज्यकर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्यकर उत्तर प्रदेश ।

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ// दिनांक 08 अगस्त, 2012

## //कार्यालय ज्ञाप//

उत्तर प्रदेश बिक्री कर विभाग लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली-1973(यथा संशोधित) के नियम-22 में निहित व्यवस्था के अनुसार वाणिज्यकर विभाग में दिनांक 31-12-2008 तक मौलिक रुप से नियुक्त तृतीय श्रेणी कर्मचारी की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची कार्यालय ज्ञाप सं0-स्था-5(ख) ज्येष्ठता सूची-2012-13/39/ वाणिज्यकर दिनांक 01-06-2012 के अन्तर्गत निर्गत करते हुए अधीनस्थ कार्यालयों/कर्मचारियों से दिनांक 11-06-12 तक आपत्तियॉ आमन्त्रित की गयीं हैं। इसके क्रम में जोनवार प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण निम्नवत् किया जाता है :-

**1- जोन मेरठ।**

ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक) वा0क0 मेरठ के पत्र सं0-370 दि0 13-06-12, एडी0कमि0ग्रेड-1 वा0क0 मेंरठ के पत्र सं0 400 दि0 30-05-12, डि0कमि0(प्रशा0) वा0क0 मेरठ के पत्र सं0-554 दि0 30-06-12, डि0कमि0 खण्ड-13 व0क0 मेरठ के पत्र सं0-112 दि0 07-06-12 एवं डि0कमि0(प्रशा0) वा0क0 मेरठ के पत्र सं0-396 दि0 13-06-12 द्वारा प्रेषित आवेदन पत्रों का निस्तारण निम्नवत् किया जाता है :-

1- **श्रीमती पूनम त्यागी वरि0लिपिक(2392)** ने अपनी नियुक्ति आदेश दि0 23-11-88 की प्रति उपलब्ध कराते हुए नियुक्ति आदेश में अंकित तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है। अत: साक्ष्य आधार पर कथन स्वीकार करते हुए नियुक्ति तिथि 23-12-88 के स्थान पर 23-11-88 संशोधित करने की अनुमति दी गयी।

2- **श्री जसपाल सिंह चावला व0स0(567)** नियुक्ति की तिथि 02-03-77 के स्थान पर दि0 25-02-77 करने की मांग की है। जिसे उपलब्ध कराये गये साक्ष्य आधार पर संशोधित करते हुए दि0 25-02-77 अंकित किये जाने की अनुमति दी गयी।

3- **श्रीमती नाहिद परवीन व0स0(3218)** आपत्ति है कि ज्येष्ठता क्रमांक-3218 पर कर्मचारी के नाम सम्मुख कालम नं0-8 में नियुक्ति आदेश का दि0 01-08-2000 अंकित है, जबकि अभिलेखानुसार नियुक्ति आदेश का दि0 21-07-2000 है। नियुक्ति आदेश के दिनांक 01-08-2000 के स्थान पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार 21-07-2000 संशोधित किये जाने की अनुमति दी गयी।

उपरोक्त के अतिरिक्त इसी जोन की श्रीमती कविता रानी शर्मा क0स0 तृतीय श्रेणी कर्मचारी द्वारा अपना नाम ज्येष्ठता सूची में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र पर डिप्टी कमिश्नर खण्ड-13 मेरठ द्वारा उपरोक्त कर्मचारी का नाम ज्येष्ठता सूची में दर्ज किये जाने की संस्तुति की गयी है। अत: सम्यक विचारोपरान्त इनकी नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता सूची में इनका नाम अंकित किये जाने की निम्नवत् अनुमति दी गयी है।

| क्र0 सं0 | कर्मचारी का नाम /पिता / पति का नाम | नियुक्ति की तिथि |
|---|---|---|
| 1 | **श्रीमती कविता रानी , क0स0पति श्री सत्य प्रकाश सिंह** | **17-07-2004** |

**2- जोन गाजियाबाद।**

एडी0कमि0ग्रेड-1 वा0क0 गाजियाबाद के पत्र सं0-753 दि0 08-06-12, डि0कमि0(प्रशा0) वा0क0 गाजियाबाद के पत्र सं0-1422 दि0 23-06-12, प0सं0-1387 दि0 22-06-12 एवं डि0कमि0 खण्ड-8 वा0क0 गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आवेदन पत्रों का निस्तारण निम्नवत् किया जाता है :-

1- **श्रीमती कान्ता शर्मा व0स0(1167)** आपत्ति है कि ज्येष्ठता सूची में पिता का नाम श्री ए0डी0 शर्मा दर्शाया गया है जबकि सही नाम श्री उमाशंकर शर्मा है तथा स्थायीकरण का दिनांक 01-09-85 अंकित होना है। उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार उपरोक्तानुसार संशोधन करते हुए आपत्ति निस्तारित की गयी।

2- **श्री बृजनन्दन सिंह व0स0(1392)** ज्येष्ठता सूची के कालम नं0-9 में स्थायीकरण की तिथि उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार दि0 01-09-85 अंकित किये जाने की अनुमति दी गयी।

3- **श्री राधेश्याम शर्मा व0स0(1513)** ज्येष्ठता सूची में नियुक्ति का दिनांक 04-08-80 अंकित किया गया है जबकि उपलब्ध नियुक्ति आदेश के अनुसार नियमित नियुक्ति दि0 09-04-80 है। उपलब्ध साक्ष्य अनुसार नियमित नियुक्ति की तिथि 09-04-80 अंकित करते हुए संशोधन की अनुमति दी गयी।

4- **श्री जुगेन्द्र पाल सिंह व0स0(3134)** आपत्ति है कि ज्येष्ठता सूची में जन्मतिथि 20-01-99 अंकित है जबकि वास्तविक 20-01-62 है। साक्ष्य के रुप मे हाई स्कूल परीक्षा उर्तीण करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है जिसमें जन्मतिथि 20-01-62 अंकित है। तद्नुसार जन्म तिथि 20-01-62 संशोधन करने की अनुमति दी गयी।

5- **श्री अशोक कुमार मित्तल व0स0(553)** आपत्ति है कि ज्ये0सूची में क्र0 553 पर कर्मचारी के नाम सम्मुख नियुक्ति की तिथि 28-02-77 अंकित है, साक्ष्य के रुप में संलग्न सेवापुस्तिका की छायाप्रति में तिथि 26-02-77 अंकित है। कर्मचारी का नाम ए0के0 मित्तल के स्थान पर अशोक कुमार मित्तल तथा पिता का नाम वी0पी0 मित्तल की जगह वेद प्रकाश मित्तल एवं कालम नं0-

9 में स्थायीकरण की तिथि 01-01-80 अंकित किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति स्वीकार करते हुए तद्नुसार संशोधन की अनुमति दी गयी।

6- **श्री प्रमोद कुमार मित्तल व0स0(555)** आपत्ति है कि ज्ये0सूची में क्र0 555 पर कर्मचारी के नाम सम्मुख नियुक्ति की तिथि 28-02-77 अंकित है, जबकि संलग्न नियुक्ति पत्र में तिथि 26-02-77 अंकित है। साक्ष्य के आधार पर नियुक्ति तिथि 26-02-77 स्वीकार करते हुए आपत्ति निस्तारित की गयी।

7- **श्री बाबू राम व0स0(1715)** आपत्ति है कि उपलब्ध साक्ष्य (हाईस्कूल उत्तीर्ण परीक्षा का प्रमाण पत्र ) के अनुसार जन्म तिथि 01-05-1957 के स्थान पर 10-01-1957 संशोधित किया जाना अपेक्षित है । जन्म तिथि 10-01-57 अंकित किया जाना स्वीकार करते हुए आपत्ति निस्तारित की गयी।

उपरोक्त के अतिरिक्त इसी जोन की श्रीमती नम्रता सिन्हा क0स0 तृतीय श्रेणी कर्मचारी द्वारा अपना नाम ज्येष्ठता सूची में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र पर एडी0 कमिश्नर ग्रेड-1 वा0क0 गाजियाबाद जोन प्रथम द्वारा उपरोक्त कर्मचारी का नाम ज्येष्ठता सूची में दर्ज किये जाने की संस्तुति की गयी है। अत: सम्यक विचारोपरान्त इनकी नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता सूची में इनका नाम अंकित किये जाने की निम्नवत् अनुमति दी गयी है।

| क्र0 सं0 | कर्मचारी का नाम /पिता / पति का नाम | नियुक्ति की तिथि |
|---|---|---|
| 1 | **श्रीमती नम्रता सिंन्हा, क0लि0**, पुत्री स्व0 रजनीश सिन्हा | **01-05-06** |

<u>**बुलन्दशहर**</u>

ज्वा0कमि0(कार्य0) वा0क0 बुलन्दशहर के पत्र सं0-169 दि0 12-06-12 द्वारा प्रेषित आवेदन पत्रों का निस्तारण निम्नवत् किया जाता है :-

1- **श्री अशोक कुमार व0स0 (1147)** आपत्ति है कि कर्मचारी के नाम सम्मुख ज्ये0सूची में जन्म तिथि 15-02-57 दर्ज है, जबकि सही जन्मतिथि 15-09-57 है। कर्मचारी की जन्मतिथि सेवापुस्तिका एवं हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार संशोधित करते हुए आपत्ति निस्तारित की गयी।

2- **श्री डालचन्द्र वर्मा व0स0 (1798)** आपत्ति है कि कर्मचारी का नाम ज्ये0सूची में डाल चन्द्र अंकित किया गया है जबकि सही नाम डालचन्द वर्मा है। उपलब्ध साक्ष्य हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार कर्मचारी का नाम डाल चन्द्र के स्थान पर डालचन्द संशोधित करने की अनुमति दी गयी।

**3- <u>जोन कानपुर</u> ।**

डि0कमि0 वा0क0 खण्ड-7 कानपुर के पत्र सं0-142 दि0 05-07-12, एडी0कमि0 ग्रेड-1 वा0क0 कानपुर जोन प्रथम के पत्र सं0-816 दि0 30-06-12, ज्वा0कमि0(कार्य0) वा0क0 कानुपर सम्भाग-डी कानपुर के पत्र सं0-466 दि0 20-06-12, ज्वा0कमि0 प्रभार डि0कमि0वा0क0 खण्ड-7 कानपुर के पत्र सं0-102 दि0 12-07-12 एवं ज्वा0कमि0(कार्य0) वा0क0 कानुपर सम्भाग-सी कानपुर के पत्र सं0-553 दि0 23-06-12 द्वारा प्रेषित आवेदन पत्रों का निस्तारण निम्नवत् किया जाता है :-

1- **श्रीमती आशा निगम व0 लि0 (1284)** आपत्ति है कि नियुक्ति की तिथि 18-10-79 के स्थान पर दि0 19-11-79 अंकित कर दी गयी है। साक्ष्यों के आधार पर नियमित नियुक्ति की तिथि 18-10-79 अंकित करते हुए, संशोधन की अनुमति दी गयी।

2- **श्री छेदी लाल व0स0(2475)** आपत्ति है कि पिता का नाम जनकू अंकित है जबकि सही नाम श्री ननकू है तथा कालम नं0 -6 में जन्म तिथि 13-07-62 की बजाय 13-02-62 अंकित किया गया है। साक्ष्यों के आधार पर तद्नुसार संशोधन करते हुए आपत्ति निस्तारित की गयी।

3- **अजय कुमार शुक्ला व0स0(467)** आपत्ति है कि कर्मचारी का नाम ए0के0 शुक्ला अंकित किया गया है जबकि पूरा नाम अजय कुमार शुक्ला होना चाहिए। जन्म तिथि 20-01-55 के स्थान पर 24-01-55 दर्शाया गया है। हाईस्कूल का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए जन्म तिथि संशोधित करने का अनुरोध किया है । आपत्ति स्वीकार करते हुए, निस्तारित की गयी।

4- **श्री ब्रह्मा का0अधी0(281)** आपत्ति है कि कर्मचारी के नाम सम्मुख कालम नं-8 में नियुक्ति तिथि 23-05-76 दर्शायी गयी है, जबकि सेवापुस्तिका में नियुक्ति की तिथि 03-05-76 अंकित है। सेवापुस्तिका की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए नियुक्ति तिथि 23-05-76 के स्थान पर 03-05-76 संशोधित करने का अनुरोध किया गया है। आपत्ति स्वीकार करते हुए, संशोधन की अनुमति दी गयी।

5- **श्री राम स्वरुप व0स0(3242)** आपत्ति है कि ज्ये0सूची में नाम सम्मुख कालम नं0-4 में कटैगरी बी0सी0 दर्शायी गयी है, स्थायीकरण तथा गृहजनपद का कालम रिक्त है। स्थायीकरण आदेश दि0 18-11-04 की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए कालम नं0-4 में अनुसूचित जाति, कालम नं0-7 में गृहजनपद चित्रकूट धाम(कर्वी) तथा स्थायीकरण की तिथि 18-11-04 अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है। स्थायीकरण आदेश के अलावा अन्य कोई साक्ष्य उपलब्ध नही कराया गया है । अत: स्थायीकरण की तिथि दर्ज किये जाने की अनुमति दी गयी। अन्य आपत्तियॉं साक्ष्यों के अभाव में अस्वीकार की गयी।

**4- <u>जोन गोरखपुर ।</u>**

एडी0कमि0 ग्रेड-2(वि0अनु0शा0)वा0क0 गोरखपुर के पत्र सं0-3191 दि0 19-03-10, डि0कमि0(कर वसूली) वा0क0 गोरखपुर के पत्र सं0-315 दि0 21-02-11 एवं ज्वा0कमि0(कार्य0) वा0क0 गोरखपुर सम्भाग-ए के पत्र सं0-638 दि0 19-06-12 द्वारा प्रेषित आवेदन पत्रों का निस्तारण निम्नवत् किया जाता है :-

1- **श्री चक्रवर्ती नारायण मिश्र व0लि0(2189)** नियुक्ति आदेश दि0 16-9-87 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किये जाने विषयक शर्त अंकित है । अत: ज्येष्ठता सूची में अंकित नियुक्ति की तिथि 24-09-87 को मान्यता देते हुये आपत्ति निस्तारित की गयी ।

2- **श्री विनय भूषण सिंह, वरिष्ठ सहायक (1952)** आपत्ति है कि ज्येष्ठता सूची में नियुक्ति की तिथि 31-12-1985 दर्शायी गयी है, जबकि सेवापुस्तिका में उपलब्ध प्रविष्टि के अनुसार नियुक्ति का दिनांक 10-12-1985 है । उपलब्ध साक्ष्य सेवा पुस्तिका की छायाप्रति के अनुसार कर्मचारी के नाम सम्मुख नियुक्ति की तिथि 31-12-85 के स्थान पर 10-12-85 संशोधित करते हुए आपत्ति निस्तारित की गयी ।

3- **श्री दीप चन्द्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक(2734)** आपत्ति है कि ज्येष्ठता सूची में उनकी शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट दर्शायी गयी है, जबकि वे स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1998 के बाद जारी की गयी ज्येष्ठता सूचियों में शैक्षिक योग्यता का कालम हटा दिया गया है। वर्तमान में जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची 2012 में भी शैक्षिक योग्यता का कालम नहीं है। अत: कर्मचारी की आपत्ति प्रासंगिक / ग्राह्य न पाते हुए निस्तारित की गयी ।

**5- जोन अलीगढ़**

ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक) वा0क0 अलीगढ़ के पत्र सं0-357 दि0 08-06-12, पत्र सं0-424 दि0 27-06-12 एवं डि0कमि0(प्रशा0) वा0क0 अलीगढ़ के पत्र सं0-475 दि0 25-06-12, पत्र सं0-394 दि0 12-06-12 एवं डि0कमि0-खण्ड-6 वा0क0 अलीगढ़ के पत्र सं0-173 दि0 25-06-12 द्वारा प्रेषित आवेदन पत्रों का निस्तारण निम्नवत् किया जाता है :-

1- **श्री सौबीर शर्मा, वरिष्ठ सहायक(607)** आपत्ति की गयी है कि अन्य कर्मचारियों की भांति उनकी ज्येष्ठता नियुक्ति की तिथि 22-03-77 के स्थान तिथि 14-03-77 निर्धारित की जाय तथा कालम नं0-3 में पिता के नाम में टंकण त्रुटि संशोधित करते हुए भूरे लाल के स्थान पर घूरे लाल अंकित किया जाय । नियुक्ति आदेश मे कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किये जाने का उल्लेख है अत: नियुक्ति तिथि मे वांछित संशोधन स्वीकार नही किया गया तथा कालम नं0 3 मे पिता का नाम संशोधित करते हुये भूरेलाल के स्थान पर घूरेलाल अंकित किये जाने की अनुमति दी गयी।

2- **श्री एस0पी0 मिश्र व0लि0(1145)** आपत्ति है कि उनके नाम के सम्मुख वर्तमान तैनाती मथुरा अंकित है। जबकि वे अलीगढ़ में तैनात हैं । आपत्ति स्वीकार करते हुए, आपत्ति संशोधन की अनुमति दी गयी ।

3- **श्री हरिओम शर्मा व0स0(1540)** आपत्ति है कि ज्येष्ठता सूची मे नियुक्ति तिथि के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 29-09-80 दर्शायी गयी है जबकि नियुक्ति की तिथि 20-9-80 है । कोई साक्ष्य उपलब्ध नही कराया गया है। अत: कथित संशोधन किया जाना स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी गयी ।

4- **श्री कुलदीप कुमार सक्सेना व0स0(1173)** आपत्ति है कि ज्येष्ठता विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 01-03-79 के आधार पर निर्धारित है, जबकि नियमित नियुक्ति की तिथि 26-02-79 है। नियुक्ति की तिथि 01-03-79 के स्थान पर 26-02-79 संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है। नियुक्ति आदेश में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किये जाने की शर्त अंकित है । अत: आपत्ति अस्वीकार करते हुए निस्तारित की गयी ।

**5- श्री कैलाश चन्द्र व0स0 (2576)** आपत्ति है कि कर्मचारी के नाम सम्मुख ज्ये0सूची में जन्म तिथि 10-10-55 दर्ज है, जबकि सही जन्मतिथि 08-10-53 है। कर्मचारी की जन्मतिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार संशोधित किया जाना स्वीकार करते हुए आपत्ति निस्तारित की गयी ।

**6- श्री खरग सिह व0स0 (2134)** आपत्ति है कि कर्मचारी के नाम सम्मुख ज्ये0सूची में जन्म तिथि 20-10-59 दर्ज है, जबकि सही जन्मतिथि 28-10-59 है। तद्नुसार संशोधन की अपेक्षा की गयी है लेकिन माह एवं वर्ष में परिवर्तन नहीं । अत: स्वीकार करते हुए आपत्ति संशोधित की गयी ।

7- **श्री मुकेश कुमार रावत व0स0 (2746)** आपत्ति है कि कालम न0-8 में नियुक्ति की तिथि 12-6-91 अंकित की गयी है, जबकि नियुक्ति आदेश की तिथि 10-06-91 है। साक्ष्य रुप में नियमित नियुक्ति आदेश दि0 10-06-91 की छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी है। जिसमे कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किये जाने की शर्त अंकित है । अत: नियुक्ति की तिथि संशोधन करने की अनुमति नही दी गयी ।

**8- श्री धर्म सिंह व0स0(487)** आपत्ति है कि कालम न0-8 में नियुक्ति की तिथि 10-10-77 अंकित की गयी है, जबकि नियुक्ति आदेश की तिथि 09-10-77 है। कोई साक्ष्य उपलब्ध नही कराये गये है । साक्ष्य के अभाव में आपत्ति स्वीकार करने की अनुमति नही दी गयी ।

**मथुरा**

ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक) वा0क0 मथुरा के पत्र सं0-644 दि0 20-06-12 द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र का निस्तारण निम्नवत् किया जाता है :-

1- **श्री बनै सिंह व0लि0(2861)** आपत्ति है कि उनके नाम सम्मुख नियुक्ति की तिथि 12-03-93 दर्शाया गया है, जबकि नियुक्ति आदेश का दि0 05-03-93 है। उपलब्ध साक्ष्य नियुक्ति आदेश के अनुसार नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अनुमन्य होगी । अत: नियुक्ति तिथि संशोधनीय न पाते हुए आपत्ति निरस्त की जाती है ।

**6- <u>जोन सहारनपुर</u>**

डि0 कमिश्नर(प्रशासन) वा0क0 सहारनपुर के पत्र सं0-633 दि0 26-06-12 द्वारा प्रेषित आवेदन पत्रों का निस्तारण निम्नवत् किया जाता है :-

1- **श्री यशपाल सिंह अहलूवालिया व0स0(381)** आपत्ति है कि उनकी जन्मतिथि 23-07-53 के अनुसार ज्येष्ठता निर्धारित है। उपलब्ध साक्ष्य (हाईस्कूल उत्तीर्ण परीक्षा का प्रमाण पत्र)के अनुसार जन्म तिथि 03-11-54 है । उपलब्ध साक्ष्य सेवापुस्तिका की छायाप्रति एवं हाईस्कूल उत्तीर्ण परीक्षा का प्रमाण पत्र के अनुसार जन्म तिथि 23-07-53 के स्थान पर 03-11-54 संशोधित किया जाना स्वीकार करते हुए संशोधन की अनुमति दी गयी ।

2- **श्री जगवीर सिंह, वरिष्ठ सहायक (1061)** आपत्ति है कि ज्येष्ठता सूची में गृहजनपद सहारनपुर दर्शाया गया है, जबकि वर्तमान में गृहजनपद बागपत है । डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्यकर सहारनपुर के पत्र संख्या-633 दिनांक 26-06-2012 द्वारा प्रेषित अभिलेखीय आधार पर सूचना के अनुसार कर्मचारी के नाम सम्मुख गृहजनपद सहारनपुर के स्थान पर बागपत संशोधित किया जाना स्वीकार करते हुए संशोधन की अनुमति दी गयी ।

3- **श्री नथलू राम, वरिष्ठ सहायक(701)** आपत्ति है कि ज्येष्ठता सूची में जन्मतिथि 13-08-1956 दर्शायी गयी है, जबकि वास्तव में जन्मतिथि 13-08-1954 है । उपलब्ध साक्ष्य कर्मचारी का पैनकार्ड की छायाप्रति तथा डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्यकर सहारनपुर के पत्र संख्या-633 दिनांक 26-06-2012 द्वारा प्रेषित अभिलेखीय आधार पर प्राप्त सूचना के अनुसार कर्मचारी की जन्मतिथि 13-08-56 के स्थान पर 13-08-54 संशोधित किया जाना स्वीकार करते हुए संशोधन की अनुमति दी गयी ।

**<u>मुजफ्फरनगर</u>**

ज्वा0 कमिश्नर(कार्यपालक) वा0क0 मुजफ्फरनगर के पत्र सं0-943 दि0 04-07-12 द्वारा प्रेषित निम्नांकित कर्मचारियो के आवेदन पत्र का निस्तारण निम्नवत् किया जाता है :-

1- **श्री ब्रह्म पाल सिंह व0स0(633)** आपत्ति है कि ज्येष्ठता सूची में गृह जनपद मु0 नगर दर्शाया गया है जबकि उनका मूल निवास जनपद मेरठ सेवापुस्तिका में अंकित है। मेरठ का कुछ भाग कट कर नया जनपद बागपत सृजित हुआ है। अब उनका मूल निवास जनपद बागपत के अन्तर्गत स्थापित है। तद्नुसार ज्येष्ठता सूची में गृह जनपद संशोधित किया जाय । उपलब्ध साक्ष्य सेवापुस्तिका व राशन कार्ड की छायाप्रतियों के अनुसार गृह जनपद संशोधित किया जाना स्वीकार करते हुए संशोधन की अनुमति दी गयी ।

**7- <u>जोन इटावा</u>**

**<u>मैनपुरी</u>**

ज्वा0 कमिश्नर(कार्यपालक) वा0क0 मैनपुरी के पत्र सं0-300 दि0 08-06-12, पत्र सं0-301 दि0 08-06-12 एवं असि0कमिश्नर(प्रशासन) वा0क0 मैनपुरी के पत्र सं0-139 दि0 12-06-12 द्वारा प्रेषित आवेदन पत्रों का निस्तारण निम्नवत् किया जाता है :-

**1- श्री अवनेन्द्र कुमार तिवारी, व0लि0(2163)** आपत्ति है कि नियुक्ति की तिथि 18-09-87 के अनुसार ज्येष्ठता निर्धारित है तथा श्री प्रमोद कुमार मिश्रा की ज्येष्ठता नियुक्ति की तिथि 17-09-87 के अनुसार क्रमांक-2162 पर निर्धारित है। दोनों ही कर्मचारियों की नियुक्ति की तिथि मुख्यालय के पत्र संख्या-6889 दिनांक 14-01-2010 के अनुसार दिनांक 18-09-87 है। अत: मुख्यालय के पत्र दिनांक 14-01-10 तथा संभागीय अधिकारी मैनपुरी के पत्र सं0 -646 दिनांक 18-07-09 द्वारा प्राप्त आख्या के क्रम में क्योंकि श्री अवनेन्द्र कुमार तिवारी की जन्मतिथि 10-08-61 तथा श्री प्रमोद कुमार मिश्र की जन्मतिथि 15-04-66 है, के आधार पर आपत्ति स्वीकार करते हुये । संशोधन की अनुमति दी गयी ।

2- **श्री दुर्गेश कुमार सिंह , व0लि0(1435)** आपत्ति है कि नियुक्ति की तिथि 26-04-80 के अनुसार निर्धारित है तथा रिमार्क कालम में तदर्थ नियुक्त अंकित किया गया है । उपलब्ध साक्ष्य सेवा पुस्तिका की प्रमाणित छाया प्रति के अनुसार अस्थाई लिपिक के पद पर नियुंक्त किया जाना उल्लिखित है । नियुक्ति पत्र की छाया प्रति उपलब्ध नहीं कराया गया है । साक्ष्य के अभाव में संशोधन की अनुमति नहीं दी गयी ।

3- **श्री राजीव कुमार सक्सेना, व0लि0(2307)** आपत्ति है कि नियुक्ति की तिथि 20-09-88 के अनुसार निर्धारित है, जबकि नियुक्ति की तिथि 17-09-88 है । नियुक्ति पत्र की छाया प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी है । सेवा पुस्तिका में अंकित प्रविष्टि के अनुसार नियुक्ति की तिथि 17-09-88 है । स्थायीकरण की तिथि 01-01-95 अंकित किया जाना स्वीकार करते हुए संशोधन की अनुमति दी गयी ।

4- **श्री आनन्द कुमार शंखवार, व0 लि0 (2183)** नियुक्ति की तिथि 21-09-87 के अनुसार ज्येष्ठता निर्धारित है, जबकि नियुक्ति की तिथि 18-09-87 सेवा पुस्तिका में दर्ज है । सेवा पुस्तिका में अंकित प्रविष्टि के अनुसार नियुक्ति की तिथि 18-09-87 है । स्थायीकरण की तिथि 01-01-95 अंकित किया जाना स्वीकार करते हुए संशोधन की अनुमति दी गयी ।

5- **श्री अगर सिंह, व0लि0(2916)** स्थायीकरण की तिथि 01-04-99 अंकित किया जाना स्वीकार करते हुए संशोधन की अनुमति दी गयी ।

6- **श्री नूरुल इस्लाम,व0लि0 (1436)** स्थायीकरण की तिथि 01-09-85 अंकित किया जाना स्वीकार करते हुए संशोधन की अनुमति दी गयी।

7- **श्री नरेश बाबू, व0लि0 (581)** नियुक्ति की तिथि 08-03-77 के स्थान पर उपलब्ध साक्ष्य नियुक्ति पत्र में कार्यभार ग्रहण की तिथि से नियुक्त किये जाने की शर्त अंकित है। अत: नियुक्ति की तिथि में संशोधन की अनुमति नहीं दी गयी तथा कालम नं-9 में स्थायीकरण की तिथि 01-01-1980 अंकित किया जाना स्वीकार करते हुए संशोधन की अनुमति दी गयी।

8- **श्री जयराज प्रकाशन व0स0(1937)** ज्येष्ठता सूची के कालम नं0-8 में नियुक्ति की तिथि 23-11-85 दर्शायी गयी है, जबकि वास्तव में नियुक्ति आदेश का दि0 21-11-85 है। उपलब्ध साक्ष्य नियुक्ति आदेश के अनुसार नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी। अत: आपत्ति संशोधनीय न पाते हुए, आपत्ति निस्तारित की गयी।

9- **श्री महेश चन्द्र गुप्ता व0स0(921)** आपत्ति है कि ज्येष्ठता सूची के कालम नं0-8 में नियुक्ति की तिथि 09-12-77 अंकित है। अभिलेखानुसार नियुक्ति का दि0 06-12-77 है। साक्ष्य में नियुक्ति आदेश की प्रति संलग्न किया गया है। कालम नं0-9 में स्थायीकरण की तिथि 01-01-80 अंकित किया जाना अपेक्षित है। उपलब्ध साक्ष्य नियुक्ति आदेश में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किये जाने की शर्त अंकित है। अत: नियुक्ति की तिथि में संशोधन की अनुमति नहीं दी गयी। ज्येष्ठता सूची के कालम नं0-9 में स्थायीकरण की तिथि 01-01-80 अंकित करने की अनुमति दी गयी।

**8- <u>जोन इलाहाबाद</u>**

ज्वा0 कमिश्नर(कार्यपालक) वा0क0 इलाहाबाद के पत्र सं0-484 दि0 08-06-12 एवं पत्र सं0-529 दि0 16-06-12 द्वारा प्रेषित आवेदन पत्रों का निस्तारण निम्नवत् किया जाता है :-

1- **श्री भगत नारायन, कार्या0 अधी0 (128)** नियुक्ति आदेश के कालम में 05-01-76 अंकित किया गया है, जबकि विभाग में 01-01-76 के पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण किया गया है। साक्ष्य के अभाव में संशोधन किया जाना स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी गयी।

2- **श्री अनिल कुमार, वरिष्ठ सहायक(1487)** आपत्ति है कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में नियुक्ति की तिथि 09-07-80 अंकित है। उल्लेखनीय है कि मुख्यालय के आदेश संख्या-1819 दिनांक 03-08-1991 के अनुसार प्रथम नियुक्ति की तिथि 25-03-80 से ज्येष्ठता निर्धारण का निर्णय लिया जा चुका है। उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार ज्येष्ठता सूची के कालम नं-8 में कर्मचारी के नाम सम्मुख नियुक्ति की तिथि 25-03-80 अंकित किया जाना स्वीकार करते हुए संशोधन की अनुमति दी गयी।

3- **श्री तेज प्रताप सिंह, व0स0(1484)** आपत्ति है कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में नियुक्ति की तिथि 09-07-80 अंकित है। उल्लेखनीय है कि मुख्यालय के आदेश संख्या-1819 दिनांक 03-08-1991 के अनुसार प्रथम नियुक्ति की तिथि 14-01-80 से ज्येष्ठता निर्धारण का निर्णय लिया जा चुका है। उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार ज्येष्ठता सूची के कालम नं-8 में कर्मचारी के नाम सम्मुख नियुक्ति की तिथि 14-01-80 अंकित किया जाना स्वीकार करते हुए संशोधन की अनुमति दी गयी।

4- **श्री कुंज बिहारी सिंह, व0स0(1488)** आपत्ति है कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में नियुक्ति की तिथि 09-07-80 अंकित है। उल्लेखनीय है कि मुख्यालय के आदेश संख्या-1819 दिनांक 03-08-1991 के अनुसार प्रथम नियुक्ति की तिथि 17-12-79 से ज्येष्ठता निर्धारण का निर्णय लिया जा चुका है। उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार ज्येष्ठता सूची के कालम नं-8 में कर्मचारी के नाम सम्मुख नियुक्ति की तिथि 17-12-79 अंकित किया जाना स्वीकार करते हुए संशोधन की अनुमति दी गयी।

5- **श्री बृजेश कुमार मिश्र (328)** आपत्ति है कि नाम क्रमांक -328 पर अंकित है, जबकि उन से कनिष्ठ श्री यशवन्त सिंह जिनकी नियुक्ति/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 25-10-76 है, की ज्येष्ठता क्रमांक-326 पर अवस्थित है। अत: उनका नाम श्री यशवंत सिंह के ऊपर अवस्थित होना चाहिए। परीक्षणोपरांत पाया गया कि श्री यशवंत सिंह की ज्येष्ठता उनकी नियुक्ति की तिथि 18-09-76 के अनुसार क्रमांक-326 पर अवस्थित तथा श्री मिश्र की ज्येष्ठता नियुक्ति की तिथि 23-09-76 के अनुसार 328 पर अवस्थित है। श्री मिश्र द्वारा साक्ष्य उपलब्ध नही कराया गया है। अत: कथित संशोधन किया जाना स्वीकार करने की अनुमति नही दी गयी।

**9- <u>जोन फैजाबाद</u>**

एडी0 कमिश्नरग्रेड-1 वा0क0 फैजाबाद के पत्र सं0-475 दि0 15-06-12 एवं असि0कमि0(प्रशा0) वा0क0 गोण्डा के पत्र सं0-96 दि0 12-06-12 द्वारा प्रेषित निम्नांकित कर्मचारियो के आवेदन पत्रों का निस्तारण निम्नवत् किया जाता है :-

1- **श्री राम नेवाज प्रशा0अधि0** आपत्ति है कि ज्येष्ठता सूची में कर्मचारी का नाम राम निवास अंकित है जबकि वास्तव में नाम राम नेवाज है। उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार कर्मचारी का नाम संशोधित किया जाना स्वीकार करते हुए संशोधन की अनुमति दी गयी।

**<u>गोण्डा</u>**

उपरोक्त के अतिरिक्त इसी जोन के श्री राकेश कुमार क0स0 तृतीय श्रेणी कर्मचारी द्वारा अपना नाम ज्येष्ठता सूची में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र दिया गया है जिस पर असि0 कमिश्नर (प्रशा0) वा0क0 गोण्डा द्वारा उपरोक्त कर्मचारी का नाम ज्येष्ठता सूची में दर्ज किये जाने की संस्तुति की गयी है। अत: सम्यक विचारोपरान्त इनकी नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता सूची में इनका नाम अंकित किये जाने की निम्नवत् अनुमति दी गयी है।

| क्र0 सं0 | कर्मचारी का नाम /पिता / पति का नाम | नियुक्ति की तिथि |
|---|---|---|
| 1 | **श्री राकेश कुमार, कनिष्ठ सहायक, श्री राम राज चौधरी** | **13-09-2007** |

**10- <u>जोन आगरा</u>**

एडी0 कमिश्नरग्रेड-1 वा0क0 आगरा के पत्र सं0-826 दि0 08-06-12, पत्र सं0-1201 दि0 18-07-12 एवं डि0कमि0(प्रशा0) वा0क0 अगरा के पत्र सं0-828 दि0 20-06-12 द्वारा प्रेषित निम्नांकित कर्मचारियो के आवेदन पत्रों का निस्तारण निम्नवत् किया जाता है :-

1- **श्री आर0 पी0 सिंह, वरिष्ठ लिपिक (712)** आपत्ति है कि नियुक्ति की तिथि के कालम में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16-05-1977 अंकित किया गया है तथा शैक्षिक योग्यता अंकित नहीं की गयी है । उल्लेखनीय है कि कर्मचारी द्वारा सेवा पुस्तिका की छाया प्रति तथा नियुक्ति आदेश की छाया प्रतिउपलब्ध नहीं कराया गया है । शैक्षिक योग्यता के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है । साक्ष्य के अभाव में नियुक्ति की तिथि संशोधित किया जाना उचित नहीं होगा । शैक्षिक योग्यता ज्येष्ठता सूची में अंकित किया जाना प्राविधानित नहीं है । अत: उपरोक्त संशोधन की अनुमति नही दी गयी ।

2- **श्री जिनेश कुमार जैन, व0सहायक (2424)** आपत्ति है कि कर्मचारी का नाम तथा जन्मतिथि त्रुटिपूर्ण अंकित है । सेवा पुस्तिका की छाया प्रति उपलब्ध कराते हुये प्रश्नगत संशोधन किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है । जन्मतिथि के प्रमाण स्वरुप यद्यपि कि हाईस्कूल उत्तीर्ण परीक्षा का प्रमाण पत्र उपलब्ध नही कराया गया है, लेकिन सेवापुस्तिका में जन्म तिथि 27-03-58 अंकित है। अत: जन्म तिथि 27-02-58 के स्थान पर 27-03-58 संशोधित किये जाने तथा नाम में टंकण त्रुटि संशोधित करने की अनुमति दी गयी ।

उपरोक्त के अतिरिक्त इसी जोन के श्री **ऋषि कुमार मिश्रा** क0स0 तृतीय श्रेणी कर्मचारी द्वारा अपना नाम ज्येष्ठता सूची में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र पर एडी0 कमिश्नर ग्रेड-1 वा0क0 आगरा द्वारा उपरोक्त कर्मचारी का नाम ज्येष्ठता सूची में दर्ज किये जाने की संस्तुति की गयी है। अत: सम्यक विचारोपरान्त इनकी नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता सूची में इनका नाम अंकित किये जाने की निम्नवत् अनुमति दी गयी है ।

| क्र0 सं0 | कर्मचारी का नाम /पिता / पति का नाम | नियुक्ति की तिथि |
|---|---|---|
| 1 | **श्री ऋषि कुमार मिश्रा, क0स0 स्व0 श्री उमापति मिश्रा** | **20-03-2004** |

**11- <u>जोन नोएडा</u>**

एडी0 कमिश्नरग्रेड-1 वा0क0 नोएडा के पत्र सं0-406 दि0 16-06-12, पत्र सं0-420 दि0 19-06-12 द्वारा प्रेषित आवेदन पत्रों का निस्तारण निम्नवत् किया जाता है :-

1- **श्री शिवकुमार चौहान व0स0 (1672)** आपत्ति है कि कर्मचारी के नाम सम्मुख ज्ये0सूची में जन्म तिथि 12-06-61 दर्ज है, जबकि सही जन्मतिथि 02-06-61 है। तद्नुसार संशोधन की अपेक्षा की गयी है । साक्ष्य स्वरुप में हाईस्कूल का प्रमाण पत्र तथा सेवापुस्तिका की छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी है। कर्मचारी की जन्मतिथि उपलब्ध साक्ष्य आधार पर संशोधन किया जाना स्वीकार करते हुए संशोधन की अनुमति दी गयी ।

2- **श्री बीरेन्द्र नाथ मिश्र व0स0 (2196)** आपत्ति है कि नियुक्ति की तिथि 29-08-87 अंकित की गयी है, जबकि नियुक्ति की तिथि 28-09-87 है। साक्ष्य के रुप में सेवापुस्तिका की छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी है। जिसमें नियुक्ति तिथि स्पष्ट नही है। नियुक्ति आदेश की प्रति उपलब्ध नही है। अत: आपत्ति संशोधनीय न पाते हुए आपत्ति निरस्त की गयी ।

**3- श्री संजय कुमार यादव क0स0 (3427)** आपत्ति है कि कर्मचारी के नाम सम्मुख ज्ये0सूची में जन्म तिथि 07-07-81 दर्ज है, जबकि सही जन्मतिथि 04-07-81 है। तद्नुसार संशोधन की अपेक्षा की गयी है । साक्ष्य स्वरुप में हाईस्कूल परीक्षा उर्तीण करने का अंक पत्र व निर्वाचन कार्ड की छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी हैं। कर्मचारी की जन्मतिथि उपलब्ध साक्ष्य आधार पर संशोधन किया जाना स्वीकार करते हुए संशोधन की अनुमति दी गयी ।

उपरोक्त के अतिरिक्त इसी जोन के श्री **जितेन्द्र सिंह** क0स0 तृतीय श्रेणी कर्मचारी द्वारा अपना नाम ज्येष्ठता सूची में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रेषित किया गया है जिस पर एडी0 कमिश्नर ,वा0क0 गौतमबुद्धनगर जोन नोएडा द्वारा उपरोक्त कर्मचारी का नाम ज्येष्ठता सूची में दर्ज किये जाने की संस्तुति की गयी है। अत: सम्यक विचारोपरान्त इनकी नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता सूची में इनका नाम अंकित किये जाने की निम्नवत् अनुमति दी गयी ।

| क्र0 सं0 | कर्मचारी का नाम /पिता / पति का नाम | नियुक्ति की तिथि |
|---|---|---|
| 1 | **श्री जितेन्द्र सिंह, क0स0** स्व0 श्री बीरपाल सिंह | **07-12-2005** |

**12- <u>जोन मुरादाबाद</u>**

एडी0 कमिश्नरग्रेड-1 वा0क0 मुरादाबाद के पत्र सं0-922 दि0 22-06-12, डि0कमि0(प्रशा0) वा0क0 मुरादाबाद के पत्र सं0-797 दि0 20-06-12, पत्र सं0 946 दि0 10-07-12, डि0कमि0 वा0क0 रामपुर के पत्र सं0-190 दि0 14-06-12, असि0कमि0(प्रशा0) वा0क0 बिजनौर के पत्र सं0-275 दि0 27-06-12, असि0कमि0(प्रशा0) वा0क0 अमरोहा के पत्र सं0-253 दि0 08-06-12 एवं पत्र सं0-252 दि0 08-06-12 द्वारा प्रेषित आवेदन पत्रों का निस्तारण निम्नवत् किया जाता है :-

1- **श्रीमती कामना राजपूत, कनिष्ठ सहायक** आपत्ति है कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01-06-2012 में कर्मचारी का नाम शामिल नहीं किया गया है । उपलब्ध सेवा विवरण के अनुसार कर्मचारी का नाम नियुक्ति की तिथि 04-10-2008 के अनुसार

शामिल किया जाना अपेक्षित है। यद्यपि कि कर्मचारी का केवल प्रार्थना पत्र ही डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) मुरादाबाद द्वारा अग्रसारित किया गया है । सेवा पुस्तिका, नियमित नियुक्ति आदेश तथा हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र साक्ष्य स्वरुप संलग्न नहीं किया गया है । साक्ष्यों के अभाव में ज्येष्ठता सूची में केवल नियुक्ति की तिथि से नाम दर्ज किये जाने की संस्तुति की गयी है। अत: सम्यक विचारोपरान्त इनकी नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता सूची में इनका नाम अंकित किये जाने की निम्नवत् अनुमति दी गयी है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त इसी जोन के श्री निरंजन कुमार क0स0 तृतीय श्रेणी कर्मचारी द्वारा अपना नाम ज्येष्ठता सूची में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र पर डिप्टी कमि0(प्रशासन)वाणिज्य कर मुरादाबाद द्वारा उपरोक्त कर्मचारी का नाम ज्येष्ठता सूची में दर्ज किये जाने की संस्तुति की गयी है। अत: सम्यक विचारोपरान्त इनकी नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता सूची में इनका नाम अंकित किये जाने की निम्नवत् अनुमति दी गयी ।

| क्र0 सं0 | कर्मचारी का नाम /पिता / पति का नाम | नियुक्ति की तिथि |
|---|---|---|
| 1 | **श्री निरंजन कुमार कनिष्ठ सहायक स्व0 श्री दीनदयाल** | **09-06-2004** |
| 2 | **श्रीमती कामना राजपूत क0स0** | **04-10-2008** |

**रामपुर**

1- **श्री रमेश चन्द्र जोशी व0स0(293)** ज्येष्ठता सूची में जन्म तिथि के कालम में 10-11-54 अंकित किया गया है, जब कि वास्तव में जन्म तिथि 10-10-55 है। उपलब्ध साक्ष्य सेवापुस्तिका के मुख पृष्ठ तथा हाई स्कूल परीक्षा उर्तीण करने का प्रमाण पत्र के अनुसार जन्म तिथि में संशोधन किया जाना स्वीकार करते हुए संशोधन की अनुमति दी गयी ।

**अमरोहा**

**1- श्री दिनेश कुमार कनिष्ठ सहायक (4079)** आपत्ति है कि कर्मचारी की जन्मतिथि त्रुटिपूर्ण अंकित है । ज्येष्ठता सूची मे अंकित जन्म तिथि 03-4-77 के स्थान पर 30-4-77 अंकित हो गयी है । सेवा पुस्तिका तथा हाईस्कूल प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध कराते हुये प्रश्नगत संशोधन किये जाने की अपेक्षा की गयी है । जन्म तिथि में संशोधन किया जाना स्वीकार करते हुए संशोधन की अनुमति दी गयी ।

उपरोक्त के अतिरिक्त इसी जोन के श्री जगदीश सिंह क0स0 तृतीय श्रेणी कर्मचारी द्वारा अपना नाम ज्येष्ठता सूची में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र पर असि0 कमि0 आहरण एवं वितरण अधिकारी वाणिज्य कर अमरोहा, ज्योतिबाफुलेनगर द्वारा उपरोक्त कर्मचारी का नाम ज्येष्ठता सूची में दर्ज किये जाने की संस्तुति की गयी है। अत: सम्यक विचारोपरान्त इनकी नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता सूची में इनका नाम अंकित किये जाने की निम्नवत् अनुमति दी गयी है ।

| क्र0 सं0 | कर्मचारी का नाम /पिता / पति का नाम | नियुक्ति की तिथि |
|---|---|---|
| 1 | **श्री जगदीश सिंह यादव, क0स0 स्व0 श्री जयराम यादव** | 13-05-2005 |

**बिजनौर**

1- **श्री अनिल कुमार व0स0(2049)** आपत्ति है कि जन्म तिथि 23-02-63 की बजाय 23-12-63 अंकित की गयी है। उपलब्ध साक्ष्य हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार उक्त संशोधन किया जाना अपेक्षित है। यद्यपि सेवापुस्तिका की छायाप्रति उपलब्ध नही कराया गया है। जन्म तिथि में संशोधन किया जाना स्वीकार करते हुए संशोधन की अनुमति दी गयी ।

उक्त के अतिरिक्त असि0कमि0(प्रशा0) वा0क0 बिजनौर ने अपने प0स0-275 दि0 27-06-12 के साथ एक सूची संलग्न करते हुए अवगत कराया गया है कि हाईलाइट किये गये क्रमांको पर अंकित कर्मचारियों के संबंध में ज्येष्ठता सूची में संशोधन किया जाना अपेक्षित है, जबकि आपत्ति संशोधन के लिए कोई साक्ष्य व संबंधित कर्मचारियों का प्रत्यावेदन प्रेषित नही किया गया है । अनन्तिम ज्ये0सू0 में ऐसे कर्मचारियों के ज्येष्ठता क्रमांक निम्नवत् हैं :-

**नियुक्ति तिथि में संशोधन-** 70, 902, 941, 1024, 1459, 1501, 1539, 1844, 2043, 2045, 2049, 2226, 2322, 2324, 2325 व 2413 ।

नियुक्ति तिथि में संशोधन किये जाने सम्बन्धी साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण संशोधन की अनुमति नही दी गयी ।

**पिता के नाम में संशोधन:-** 3153

असि0कमि0(प्रशा0) वा0क0 बिजनौर ने अपने प0स0-275 दि0 27-06-12 के पत्र के आधार पर पिता के नाम में संशोधन की अनुमति दी गयी ।

**स्थायीकरण :-** 3296, 3895, 4001, 4002

असि0कमि0(प्रशा0) वा0क0 बिजनौर ने अपने प0स0-275 दि0 27-06-12 के पत्र के आधार पर स्थायीकरण अंकित करने अनुमति दी गयी ।

**ज्ये0सूची में नाम शामिल किया जाना :-** श्री कृष्ण कुमार, श्री रजत कुमार, श्रीमती सुमन देवी व श्री सचिन आर्या ।

उपरोक्त के अतिरिक्त इसी जोन के श्री कृष्ण कुमार व श्री रजत कुमारका नाम ज्ये0सूची में दर्ज करने हेतु असि0 कमि0(प्रशा0) आहरण एवं वितरण अधिकारी वाणिज्य कर बिजनौर द्वारा उपरोक्त कर्मचारी का नाम ज्येष्ठता सूची में दर्ज किये जाने की संस्तुति की गयी है। अत: सम्यक विचारोपरान्त इनकी नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता सूची में इनका नाम अंकित किये जाने की निम्नवत् अनुमति दी गयी है । ज्येष्ठता सूची में दिनांक 31-12-2008 तक के कर्मचारियों के नाम शामिल किये गये हैं ।

अत: इस कारण श्रीमती सुमन देवी क0स0 (12-02-09) व श्री सचिन आर्या क0स0(29-06-09) के नाम ज्येष्ठता सूची में शामिल किये जाने की अनुमति नही दी गयी।

| क्र0 सं0 | कर्मचारी का नाम /पिता / पति का नाम | नियुक्ति की तिथि |
|---|---|---|
| 1 | **श्री किशन कुमार क0स0 श्री वेद प्रकाश** | **01-07-06** |
| 2 | **श्री रजत कुमार क0स0 श्री सतेन्द्र चौहान** | **03-12-08** |

**13- <u>जोन वाराणसी</u>**

एडी0 कमिश्नरग्रेड-1 वा0क0 वाराणसी के पत्र सं0-588 दि0 22-06-12, पत्र सं0-865 दि0 25-06-12, पत्र सं0-914 दि0 30-06-12, 864 दि0 25-06-12, डि0कमि0(प्रशा0) वा0क0 वाराणसी के पत्र सं0-1039 दि0 11-06-12, ज्वा0कमि0 वा0क0 आजमगढ़ के पत्र सं0-514 दि0 22-06-12, असि0कमि0(ए) वा0क0 गाजीपुर के पत्र सं0-71 दि0 19-06-12, पत्र सं0-150 दि0 17-07-12, पत्र सं0-179 दि0 18-07-12, पत्र सं0-138 दि0 23-06-12, पत्र सं0-108 दि0 14-06-12, असि0कमि0(ए) वा0क0 बलिया के पत्र सं0-147 दि0 21-06-12, असि0कमि0(ए) वा0क0 मीरजापुर के पत्र सं0-200 दि0 08-06-12, असि0कमि0(ए) वा0क0 जौनपुर के पत्र सं0-311 दि0 18-06-12 एवं डि0कमि0(क0नि0) वा0क0 जौनपुर के पत्र सं0-444 दि0 27-07-12 द्वारा प्रेषित आवेदन पत्रों का निस्तारण निम्नवत् किया जाता है :-

1- **श्री वीरेन्द्र धूसिया व0स0(2265)** आपत्ति है कि ज्येष्ठता सूची में नाम श्री वीरेन्द्र कुमार धूसिया अंकित है जबकि वास्तविक नाम श्री वीरेन्द्र धूसिया है। नियुक्ति की तिथि 21-08-88 अंकित है, जबकि वास्तव में नियुक्ति की तिथि 21-06-88 है। स्थायीकरण का कालम जिसमें स्थायीकरण की तिथि 01-02-94 अंकित किया जाना है।उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार कर्मचारी का नाम व नियुक्ति की तिथि संशोधनीय है तथा कालम नं0-9 में स्थायीकरण की तिथि 01-02-94 अंकित किया जाना स्वीकार करते हुए संशोधन की अनुमति दी गयी।

2- **श्रीमती मीनू श्रीवास्तव व0स0 (1368)** आपत्ति है कि स्थायीकरण का कालम रिक्त है तथा कालम नं0-6 में जन्म तिथि 18-01-60 अंकित की गयी है, जबकि सही जन्म तिथि 18-01-56 है। साक्ष्य उपलब्ध कराये गये हैं। तद्नुसार कालम नं0 6 में जन्म तिथि 18-01-60 के स्थान पर 18-01-56 तथा कालम नं0-9 में स्थायीकरण की तिथि 01-09-85 अंकित किया जाना स्वीकार करते हुए संशोधन की अनुमति दी गयी।

3- **श्री सी0 एस0 बुटौलिया, व0स0(1425)** आपत्ति है कि नियुक्ति की तिथि 02-04-80 दर्शायी गयी है, जबकि वास्तव में सेवापुस्तिका के अनुसार 04-02-80 नियुक्ति की तिथि है। तदनुसार त्रुटिपूर्ण नियुक्ति की तिथि संशोधित करते हुए ज्येष्ठता क्रमांक सही करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि कर्मचारी द्वारा केवल सेवा पुस्तिका तथा डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाराणसी के कार्यालय से निर्गत प्रमाण पत्र दिनांक 14-07-2010 की छाया प्रति उपलब्ध करायी गयी है। सेवा पुस्तिका में नियुक्ति आदेश की तिथि अंकित तो है, लेकिन ओवरराइटिंग व कटिंग करते हुए प्रमाणित किया गया है। नियुक्ति आदेश की प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध नहीं कराया गया है। अत: आपत्ति संशोधनीय न पाते हुए, संशोधन की अनुमति नही दी गयी।

4- **श्री आर0पी0 गुप्ता व0स0(817)** आपत्ति है कि ज्येष्ठता सूची में नियुक्ति की तिथि 11-07-77 के स्थान पर दि0 19-07-77 अंकित की गयी है तथा स्थायीकरण की तिथि अंकित नहीं की गयी है। उपलब्ध साक्ष्य स्थायीकरण आदेश दिनांक 12-04-83 के अनुसार दिनांक 01-01-80 से स्थायीकरण की तिथि ज्येष्ठता सूची में अंकित करने की अनुमति दी गयी तथा साक्ष्य के अभाव में नियुक्ति की तिथि संशोधित करने की अनुमति नही दी गयी।

<u>मिर्जापुर</u>

1- **श्री सुरेश कुमार सरोज व0स0(3071)** श्री सरोज द्वारा तथाकथित उनसे कनिष्ठ कर्मचारियेां का नाम तथा मौलिक नियुक्ति आदेश उपलब्ध नही कराया गया है। अनन्तिम ज्येष्ठता सूची नियमावली-1991 अनुसार मौलिक नियुक्ति की तिथि के आधार पर बनायी गयी है, न कि पदोन्नति की तिथि के आधार पर। अत: कर्मचारी का कथन स्वीकार योग्य नही हैं। स्थायीकरण की तिथि 06-01-06 अंकित किया जाना स्वीकार करते हुए संशोधन की अनुमति दी गयी।

<u>जौनपुर</u>

1- **श्री विजय बहादुर सिंह, व0स0 (1345)** आपत्ति है कि नियुक्ति की तिथि त्रुटिपूर्ण अंकित की गयी है, जबकि नियुक्ति की तिथि 25-01-80 है। साक्ष्य के रुप में सेवापुस्तिका की छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी है। नियुक्ति आदेश की प्रति उपलब्ध नही है। नियुक्ति की तिथि 25-01-80 किया जाना स्वीकार करते हुए संशोधन की अनुमति दी गयी।

2- **श्री रवि प्रकाश तिवारी व0स0(2149)** आपत्ति है कि जन्म तिथि त्रुटिपूर्ण दर्ज है, जबकि सही जन्मतिथि 09-04-65 है। तद्नुसार संशोधन की अपेक्षा की गयी है लेकिन हाईस्कूल का प्रमाण पत्र उपलब्ध नही कराया गया है। सेवापुस्तिका की छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी है। संशोधन स्वीकार करते हुए संशोधन की अनुमति दी गयी।

उपरोक्त के अतिरिक्त इसी जोन के श्री अशोक कुमार क0स0 तृतीय श्रेणी कर्मचारी द्वारा अपना नाम ज्येष्ठता सूची में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र पर डि0कमि0(क0नि0) वाणिज्य कर जौनपुर द्वारा उपरोक्त कर्मचारी का नाम ज्येष्ठता सूची में दर्ज किये जाने की संस्तुति की गयी है। अत: सम्यक विचारोपरान्त इनकी नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता सूची में इनका नाम अंकित किये जाने की निम्नवत् अनुमति दी गयी है।

| क्र0 सं0 | कर्मचारी का नाम /पिता / पति का नाम | नियुक्ति की तिथि |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **श्री अशोक कुमार क0स0 स्व0 श्री नन्द लाल** | 19-08-2004 |

गाजीपुर

1- **श्री रुद्र प्रताप सिंह व0स0(3068)** आपत्ति है कि जन्म तिथि 18-05-64 की बजाय 18-05-59 अंकित किया गया है। साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण वांछित संशोधन किया जाना स्वीकार करने की अनुमति नही दी गयी ।

2- **श्री रामकुमार यादव क0 सहायक**(3111) आपत्ति है कि जन्मतिथि 02-01-1962 अंकित की गयी है। जबकि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार जन्म तिथि 02-01-1963 है । (साक्ष्य संलग्न) उपलब्ध साक्ष्य (हाईस्कूल उत्तीर्ण परीक्षा का प्रमाण पत्र ) के अनुसार जन्म तिथि 02-01-1962 के स्थान पर 02-01-1963 संशोधित किया जाना अपेक्षित है । सेवापुस्तिका की छायाप्रति भी फैक्स के माध्यम से प्रेषित की गयी है । उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार पिता का नाम राम नरायन के स्थान पर राम नयन तथा जन्म तिथि उपलब्ध साक्ष्य आधार पर 02-01-62 के स्थान पर 02-01-63 संशोधित किया जाना स्वीकार करते हुए संशोधन की अनुमति दी गयी ।

उपरोक्त के अतिरिक्त इसी जोन के **श्री महेश चन्द्र कनि0 सहायक** तृतीय श्रेणी कर्मचारी द्वारा अपना नाम ज्येष्ठता सूची में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र पर असि0कमि0(ए)वाणिज्य कर गाजीपुर द्वारा उपरोक्त कर्मचारी का नाम ज्येष्ठता सूची में दर्ज किये जाने की संस्तुति की गयी है। अत: सम्यक विचारोपरान्त इनकी नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता सूची में इनका नाम अंकित किये जाने की निम्नवत् अनुमति दी गयी है ।

| क्र0 सं0 | कर्मचारी का नाम /पिता / पति का नाम | नियुक्ति की तिथि |
|---|---|---|
| 1 | **श्री महेश चन्द्र कनि0 सहायक श्री हरीश चन्द्र कनौजिया** | 10-07-2003 |

मऊ

1- **श्री बी0एन0 सिंह व0स0(1484)** आपत्ति है कि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 09-07-80 लिखी गयी है, जबकि ज्वांइनिंग विभाग में 30-08-79 की है। विनियमितीकरण की तिथि 09-07-80 है । गृह जनपद बलिया लिखा गया है जबकि गृहजनपद इस समय मऊ है । साक्ष्य के अभाव में वांछित संशोधन किया जाना स्वीकार करने की अनुमति नही दी गयी ।

2- **श्री सीताराम व0स0 (3183)** नियुक्ति की तिथि 23-04-99 अंकित है, जबकि नियुक्ति की तिथि 17-04-99 है । स्थायीकरण का कालम रिक्त है। जबकि स्थायीकरण 24-01-04 से किया गया है। वर्तमान तैनाती स्थान आजमगढ़ दर्शाया गया है, जबकि मऊ नाथ भंजन है। वांछित संशोधन उपलब्ध साक्ष्य आधार पर किया जाना स्वीकार करते हुए संशोधन की अनुमति दी गयी ।

बलिया

असि0कमि0-ए बलिया ने अपने प0सं0147 दि0 21-06-12 के साथ कुल 08 कर्मचारियों की सूची प्रेषित करते हुए कहा है कि सूची के अनुसार कर्मचारियों के नाम के सम्मुख प्रविष्टियों में संशोधन किया जाये ।

1- **श्री उत्तम चन्द्र गुप्ता व0स0(3346)** पिता का नाम , गृहजनपद तथा स्थायीकरण की तिथि अंकित किये जाने की अनुमति दी गयी । नियुक्ति तिथि साक्ष्य के अभाव में संशोधित करने की अनुमति नही दी गयी ।

2- **श्री दिनेश कुमार भारती क0स0(3397)** पिता का नाम, गृहजनपद तथा वर्तमान तैनाती संशोधित करने तथा स्थायीकरण की तिथि अंकित किये जाने की अनुमति दी गयी ।

3- **श्री अवधेश कुमार क0स0(3702)** गृहजनपद संशोधित करने तथा स्थायीकरण की तिथि अंकित किये जाने की अनुमति दी गयी तथा जाति/ श्रेणी साक्ष्य के अभाव में संशोधन की अनुमति नही दी गयी ।

4- **श्री राम सकल राम क0स0(3822)** गृहजनपद संशोधित करने तथा स्थायीकरण की तिथि अंकित किये जाने की अनुमति दी गयी ।

5- **श्री पंकज कुमार क0स0(3828)** गृहजनपद संशोधित करने तथा स्थायीकरण की तिथि अंकित किये जाने की अनुमति दी गयी ।

6-**श्री सुशील कुमार कुशवाहा क0स0(3873)** स्थायीकरण की तिथि अंकित किये जाने की अनुमति दी गयी ।

7- **श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव क0स0(3905)** स्थायीकरण की तिथि अंकित किये जाने तथा वर्तमान तैनाती संशोधित करने की अनुमति दी गयी ।

**8- श्री महेश कुमार श्रीवास्तव क0स0(3929)** स्थायीकरण की तिथि अंकित किये जाने तथा वर्तमान तैनाती संशोधित करने की अनुमति दी गयी ।

**14- जोन झांसी**

बांदा

उपरोक्त के अतिरिक्त इसी जोन के **श्री दयानन्द पटेल कनि0 सहायक** तृतीय श्रेणी कर्मचारी द्वारा अपना नाम ज्येष्ठता सूची में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र पर ज्वा0कमि0(कार्य0) वाणिज्य कर बांदा के पत्र सं0-457 दि0 11-06-12 द्वारा उपरोक्त

कर्मचारी का नाम ज्येष्ठता सूची में दर्ज किये जाने की संस्तुति की गयी है। अत: सम्यक विचारोपरान्त इनकी नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता सूची में इनका नाम अंकित किये जाने की निम्नवत् अनुमति दी गयी है ।

| क्र0 सं0 | कर्मचारी का नाम /पिता / पति का नाम | नियुक्ति की तिथि |
|---|---|---|
| 1 | **श्री दयानन्द पटेल कनि0 सहायक स्व0 श्री रवीन्द्र कुमार पटेल** | 19-05-2004 |

**15- जोन लखनऊ**

डि0कमि0(प्रशा0) वा0क0 लखनऊ के पत्र सं0-1245 दि0 27-06-12, एवं असि0कमि0 वा0क0 पलिया कला-खीरी के पत्र सं0-145 दि0 23-06-12 द्वारा प्रेषित आवेदन पत्रों का निस्तारण निम्नवत् किया जाता है :-

1- **श्री इन्द्र मोहन पाण्डेय व0स0 मण्डल कार्यालय लखनऊ (1593)**आपत्ति है कि ज्येष्ठता सूची के कालम नं0-8 में नियुक्ति की तिथि 03-03-81 अंकित है। जबकि नियुक्ति / ज्वांइनिग 11-9-80 है । कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध नही कराया गया है। अत: वांछित संशोधन स्वीकार करने की अनुमति नही दी गयी ।

2-**आनन्द विजय सिंह व0स0 मण्डल कार्यालय लखनऊ (1995)** आपत्ति है कि ज्येष्ठता सूची के कालम नं0-8 में नियुक्ति की तिथि 20-12-86 अंकित है। जबकि नियुक्ति / ज्वांइनिग 21-03-86 है । कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध नही कराया गया है। अत: वांछित संशोधन स्वीकार करने की अनुमति नही दी गयी ।

3- **श्रीमती मालती वर्मा व0स0 मण्डल कार्या0 लखनऊ (1994)** आपत्ति है कि ज्येष्ठता सूची के कालम नं0-8 में नियुक्ति की तिथि 20-12-86 अंकित है। जबकि नियुक्ति / ज्वांइनिग 22-03-86 है, उनका नाम मालती देवी अंकित किया गया है जबकि सही नाम मालती वर्मा संशोधन करने का पूर्व में अनुरोध किया गया था । पति का नाम हरी सिंह अंकित है जबकि सही नाम हरीहर सिंह है, जन्म तिथि 06-02-56 अंकित है जबकि हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार जन्म तिथि 06-01-56 है। कथन के समर्थन में नियुक्ति आदेश दि0 20-12-86 उपलब्ध कराया गया है। अत: नियुक्ति की तिथि के संबंध में वांछित संशोधन किया जाना उचित नही है, उल्लेखनीय हे कि कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति सेवापुस्तिका के अनुसार तदर्थ रुप से की गयी थी तथा एक वर्ष के अन्दर ही दि0 20-12-86 को नियमित नियुक्ति आदेश निर्गत हुआ है जिसके अनुसार ज्येष्ठता निर्धारित है। अवशेष आपत्ति कर्मचारी का नाम, पति का नाम व जन्म तिथि वांछित संशोधन उपलब्ध साक्ष्य आधार पर किया जाना स्वीकार करते हुए संशोधन की अनुमति दी गयी ।

उपरोक्त के अतिरिक्त इसी जोन के **श्री संजय कुमार राना कनि0 सहायक** तृतीय श्रेणी कर्मचारी द्वारा अपना नाम ज्येष्ठता सूची में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र पर असि0कमि0 वाणिज्य कर पलिया कला खीरी (सीतापुर सम्भाग) द्वारा उपरोक्त कर्मचारी का नाम ज्येष्ठता सूची में दर्ज किये जाने की संस्तुति की गयी है। अत: सम्यक विचारोपरान्त इनकी नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता सूची में इनका नाम अंकित किये जाने की निम्नवत् अनुमति दी गयी है ।

| क्र0 सं0 | कर्मचारी का नाम /पिता / पति का नाम | नियुक्ति की तिथि |
|---|---|---|
| 1 | **श्री संजय कुमार राना कनि0 सहायक श्री लालू राम राना** | 16-08-2007 |

**16- मुख्यालय**

(i) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के सापेक्ष मुख्यालय स्तर पर कुल 47 कार्मिकों द्वारा इस आशय की आपत्तियॉ प्रेषित की गयी है कि उन्हें विभाग में प्रथम नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारण का लाभ अनुमन्य कराया जाय । पूर्व में कुल 29 तदर्थ रुप से कार्यरत एवं विनियमित कार्मिको की नियुक्ति की तिथि संशोधित करते हुये तद्नुसार ज्येष्ठता क्रमाक संशोधित किये गये थे, जिनके विरुद्ध कुल 07 कार्मिकों द्वारा इस आशय की आपत्ति की गयी है कि वे विभाग में प्रथम बार नियमित रुप से नियुक्त हुये थे । अत: तदर्थ आधार पर नियुक्त कार्मिकों की ज्येष्ठता समाप्त की जाय या उन से ऊपर उनकी ज्येष्ठता अवस्थित की जाय । तदर्थ आधार पर नियुक्त उक्त 29 कार्मिकों की मौलिक नियुक्ति की तिथि का विनिश्चय पूर्व में गठित समिति की संस्तुति पर किया है अत: उक्त सभी आपत्तियों के निस्तारण करने हेतु निम्न प्रकार समिति का गठन किया गया :-

| | | |
|---|---|---|
| 1- | एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ | अध्यक्ष |
| 2- | श्री वाहिद अली, ज्वाइन्ट कमिश्नर (मैनुअल/वि0अनु0शा0)वाणिज्य कर, मुख्यालय | सदस्य |
| 3- | श्री हरिशंकर सिंह, असिस्टेन्ट कमिश्नर (स्था0-अराज0) वाणिज्य कर, मुख्यालय | सदस्य |

(ii) समिति द्वारा उपर्युक्त 7+47 = 54 आपत्तियों पर विचार किया गया । 06 आपत्तिकर्ताओं क्रमश: श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, श्री राम जियावन, श्री अनिल कुमार, श्री सुनील कुमार, श्री जनार्दन जोशी, श्री बृजेश कुमार मिश्रा सभी वरिष्ठ सहायक, मुख्यालय ने यह आपत्ति की है कि उनसे कनिष्ठ कर्मचारी क्रमश: श्री अजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, श्री विमल कपूर एवं श्रीमती वासिफ नसीम को अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उनसे ऊपर रखा गया है जबकि वे तदर्थ रुप से कार्यरत थे और आपत्ति कर्ताओं की नियुक्ति के बाद विनियमित हुए थे तथा पूर्व ज्येष्ठता सूची में उनका नाम आपत्ति कर्ताओं से नीचे था । इसी प्रकार आपत्ति कर्ता श्री मो0 आरिफ वरिष्ठ सहायक मण्डल कार्यालय लखनऊ ने भी इसी आशय की आपत्ति की है और श्री सौरभ कुमार, श्री नर सिंह, श्री मो0 आरिफ, श्री संजय कुमार को अपने से कनिष्ठ

बताया है। इस सम्बन्ध में पूर्व में गठित समिति की विभिन्न तिथियों में हुई बैठकों के कार्यवृत्त तथा उक्त संस्तुतियों पर जारी किये गये आदेशों का सम्यक् अवलोकन किया गया।

(iii) प्रश्नगत 29 कार्मिकों के मामलों में अभिलेखानुसार यह स्थिति पायी गयी है कि क्रमांक-1 श्रीमती विनीता नेगी (2) श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव (14) श्री नवीन कुमार (26) श्री इकबाल हुसैन सिद्दीकी (27) श्री शौकत अली (28) श्री अशोक कुमार त्रिपाठी कुल 06 कार्मिकों को तत्कालीन समिति द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24-11-1992 के दृष्टिगत लाभ अनुमन्य किया जाना प्रतीत होता है। इसी प्रकार क्रमांक-3 श्री कमल कुमार सक्सेना (4) श्री अजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (6) श्रीमती वासिफ नसीम (10) श्री विमल कपूर (13) श्री अशोक कुमार त्रिपाठी कुल 05 कार्मिकों को उनके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका 4866/93 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 01-11-96 एवं याचीगणों द्वारा योजित पुनर्विचार प्रार्थना-पत्र वापस लिये जाने तथा क्रमांक-29 पर श्री सत्यव्रत पाठक द्वारा अव0या0सं0-572/सी/2005 वापस लिए जाने के तथ्यों के दृष्टिगत अनुतोष प्रदान किया गया है। इनके अतिरिक्त क्रमांक-15 से 24 तक क्रमश: श्री कृष्ण कुमार, श्री रामशंकर, श्री शमसुल कमर शमशी, श्री अतीकुर्रहमान, श्री राजेन्द्र सिंह, श्री श्याम नारायन शुक्ला, श्री प्रमोद कुमार मिश्रा, श्री शाहिद अली, श्री सुरेश कुमार सिंह और श्री बीरबली की नियुक्ति सेवा योजन कार्यालय से प्राप्त हुई सूची के आधार पर ली गयी विभागीय टंकण परीक्षा एवं साक्षात्कार में सफल होने के फलस्वरुप तदर्थ रुप से नियुक्ति की गयी थी जिसे बाद में विनियमित किया गया। अत: उनकी नियुक्ति की तिथि इनके द्वारा विभाग में प्रथम बार योगदान करने की तिथि से माना गया जो कि औचित्यपूर्ण है। इसी प्रकार क्रमांक-25 श्री हरिगोपाल शर्मा को मा0 लोक सेवा अधिकरण के द्वारा निर्देश याचिका संख्या- 447/1990 में पारित निर्णयादेश दिनांक 15-4-1999 के अनुपालन में लाभ प्रदान किया गया है। इनके अतिरिक्त क्रमांक-5 श्री नरसिंह, क्रमांक-7 श्री मो0 अजीम, क्रमांक-8 श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, क्रमांक-9 श्री कमल कान्त बेलवाल, क्रमांक-11 श्री सौरभ कुमार, क्रमांक-11 श्रीमती रश्मि रानी गोयल के मामलों में भी विद्यमान तथ्यों के अनुरुप निर्णय लिया गया है। यद्यपि कि उक्त कार्मिकों के विनियमितीकरण आदेश पारित हो जाने के बाद उसे पूर्वगामी तिथि से दिया जाना विधिक विवशता से आच्छादित मामलों को छोड़कर औचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता तथापि उक्त निर्णय समिति की संस्तुति पर पृथक-पृथक आदेश पारित करके लिये गये हैं, ऐसी स्थिति में इनमें हस्तक्षेप किया जाना संभव नहीं है। वस्तुत: ऐसे विधिक आदेशों के विरुद्ध सक्षम स्तर पर अपील प्रस्तुत की जा सकती थी जो कि आपत्ति कर्ताओं द्वारा नियत समय सीमा के अन्दर नहीं की गयी है। अत: विधिक आदेश के कारण ज्येष्ठता में आयी उक्त विषमता को इस स्तर पर दूर किया जाना संभव नहीं है। तद्नुसार उक्त 07 आपत्तियॉ तद्नुसार निरस्त किये जाने योग्य है।

(iv) इसके अतिरिक्त कुल 47 कार्मिकों के द्वारा इस आशय की आपत्तियॉ प्रस्तुत की गई हैं कि पूर्व वर्णित 29 कार्मिकों के समान ही उनके विनियमितीकरण के दिनांक को संशोधित करते हुये उनकी तदर्थ नियुक्ति के दिनांक से उन्हें नियमित किया जाय और ज्येष्ठता निर्धारण का लाभ प्रदान किया जाय। इन 47 कार्मिको की सूची निम्नवत है :-

1-श्री दिनेश चन्द्र पाण्डेय, वरि0 लिपिक कानपुर1572 , 2-श्री एम0के0 बुखारी वरि0लिपिक कानपुर 1573, 3-श्री प्रेम नारायण तिवारी वरि0लिपिक कानपुर 1570 , 4-श्रीमती कमला वर्मा वरि0लिपिक कानपुर 1451 , 5-श्री सुरेश कुमार पाण्डेय वरि0लिपिक कानपुर 1852, 6-श्री सुरेश चन्द्र दुबे वरि0लिपिक कानपुर 1449 , 7-श्री मुख्तार अहमद वरि0लिपिक कानपुर 1450 , 8-श्री मृदुल नारायण बाजपेयी व0लि0 कानपुर 1575 , 9-श्री गिरीन्द्र नाथ सक्सेना वरि0लिपिक कानपुर 1571 , 10-श्री मगन लाल गुप्ता वरि0लिपिक कानपुर 1453 , 11-श्री के0के0 दुबे वरि0लिपिक कानपुर 1867 , 12-श्री दिनेश कुमार त्रिवेदी वरि0लिपिक कानपुर 1452 , 13-श्री रजनी कान्त पाण्डेय वरि0लिपिक कानपुर 1594 , 14-श्री एस0के0 त्रिवेदी वरि0लिपिक संग्रह अुभाग मुख्यालय 1870 , 15-श्रीमती सुषमा चन्द्रा वरि0लिपिक लखनऊ 1869 ,16- श्रीमती रंजना श्रीवास्तव वरि0लिपिक लखनऊ 3015 , 17-श्रीमती सरोज बाला श्रीवास्तव वरि0लिपिक लखनऊ 2779 , 18-श्रीमती शशि बाला शुक्ला वरि0लिपिक सुल्तानपुर 1499 , 19-श्री बृजवासी प्रसाद वरि0लिपिक मिर्जापुर 1419 , 20-श्री ज्वाला प्रसाद वरि0 लिपिक आगरा 1878 , 21-श्री देवी शरण क0लि0 उरई 3494 , 22-श्रीमती अलका खन्ना वरि0लि0 बरेली 2899 , 23-श्री यदुवंश यादव व0लि0 आजमगढ. 3016 , 24-श्री सोमेन्द्र नाथ सिंह, क0लि0 जौनपुर 3865 , 25-श्री छेदी प्रसाद कार्या0अधि0 गोरखपुर 284 , 26-श्री विजय बहादुर पाण्डेय वरि0 लि0 गोरखपुर 1445 , 27-श्री राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी व0लि0 गोरखपुर 496 , 28-श्री हरीश कुमार श्रीवास्तव व0 लि0 गोरखपुर 1127 , 29-श्री शमीम अहमद व0लि0 गोरखपुर 1179 , 30-श्री विजय शंकर श्रीवास्तव व0लि0 गोरखपुर 950 , 31-श्री प्रेम नारायण मिश्र व0स0 गोरखपुर 448 , 32-श्री रामदौर व0लि0 संतकबीर नगर गोरखपुर 1105 , 33-श्री श्रवण कुमार जायसवाल वरि0 सहायक गोरखपुर 1129 , 34-श्री बुद्धि सागर वरि0 सहायक गोरखपुर 872 , 35-श्री नागेन्द्र प्रसाद शर्मा व0स0 गोरखपुर 1055 , 36-श्री रामबदन यादव व0लि0 गोरखपुर 1731 , 37-श्री बासुदेव यादव व0लि0 इलाहाबाद 1509 , 38-श्री राम किंकर अग्रवाल, प्रशासनिक अधिकारी इटावा 268 , 39-श्री विनोद कुमार द्विवेदी व0लि0 कानपुर 1569 , 40-श्री प्रेम चन्द व0स0 गोरखपुर 961 , 41-श्री भोला प्रसाद यादव व0लि0 गोरखपुर 1066 , 42-श्री राजाराम व0स0 गोरखपुर 1112 , 43-श्री के0एल0 मिश्र व0स0 इलाहाबाद 1497, 44-श्री आर0पी0 मिश्र व0स0 बस्ती 1498 , 45-श्री दया राम कार्या0 अधी0 इलाहाबाद 1496 , 46-श्री उमेश मिश्र व0स0 इलाहाबाद 1500 , 47- श्री उदय शंकर दुबे व0स0 इलाहाबाद 1493।

पूर्व में कुल 29 तदर्थ रुप से कार्यरत एवं विनियमित कार्मिको की नियुक्ति की तिथि संशोधित करते हुये तद्नुसार ज्येष्ठता क्रमाक संशोधित किये गये थे, जिनके विरुद्ध मुख्यालय पर कार्यरत 06 तथा मण्डल कार्यालय लखनऊ मे कार्यरत 01 कुल 07 कार्मिकों द्वारा इस आशय की आपत्ति की गयी है कि वे विभाग में प्रथम बार नियमित रुप से नियुक्त हुये थे। अत: तदर्थ आधार पर नियुक्त कार्मिकों की ज्येष्ठता समाप्त की जाय या उन से ऊपर उनकी ज्येष्ठता अवस्थित की जाय। उल्लेखनीय है कि, तदर्थ आधार पर नियुक्त उक्त 29 कार्मिकों की मौलिक नियुक्ति की तिथि का विनिश्चय पूर्व में गठित समिति की संस्तुति पर किया गया है।

उक्त सभी के प्रार्थना पत्रों पर समिति द्वारा विचार किया गया तथा यह पाया गया कि प्रत्येक कार्मिक के सम्बन्ध में विनियमितीकरण आदेश पारित हो चुका है एवं आपत्ति कर्ताओं द्वारा उन विनियमितीकरण आदेश को स्वीकार करते हुए अनुपालन कर लिया गया है। अत: अब यह विषय अपील स्तर पर उठाने से सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त विनियमितीकण किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों में समिति के माध्यम से कर्मचारियों के विनियमितीकरण किये जाने सम्बन्धी आदेश पारित किये जाने का प्राविधान है, किन्तु विनियमितीकरण के उपरान्त उसके पुनरीक्षण का कोई प्राविधान उक्त शासनादेश में नहीं है। अत: एक बार विनियमितीकरण आदेश पारित हो जाने के पश्चात् विनियमितीकरण की तिथि पर पुनर्विचार किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता तथा पूर्व में की गयी किसी अनियमित कार्यवाही को आधार नहीं बनाया जा सकता। अत: उक्त के सम्बन्ध में सभी 47 कार्मिकों के द्वारा प्रस्तुत आपत्तियॉं निरस्त किये जाने योग्य हैं।

इस प्रकार 07 कार्मिकों के द्वारा अपने ज्येष्ठता क्रम को कतिपय कर्मचारियों के ऊपर रखे जाने एवं 47 कार्मिकों के नियमितीकरण की तिथि में संशोधन सम्बन्धी आपत्तियॉं समिति की संस्तुति पर विचार करते हुए निरस्त की जाती हैं।

**17-** अत: प्राप्त समस्त आपत्तियों /सन्दर्भों/संस्तुतियों का तद्नुसार निस्तारण करते हुए अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में परिमार्जन /परिवर्धन करते हुए अन्तिम ज्येष्ठता सूची तैयार करके संबंधित जोनों के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्यकर उत्तर प्रदेश के माध्यम से संबंधित कार्मिकों को सूचनार्थ /संज्ञानार्थ प्रख्यापित की जाती है।

ह0/-
(बी0राम शास्त्री)
एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन) वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**<u>पृ0प0सं0 व दिनांक : उक्त।</u>**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को उनके अधीनस्थ तैनात सम्बन्धित कर्मचारियों को अवलोकनार्थ प्रेषित :-**

**1-** समस्त जोनल एडी0 कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

2- अपर निदेशक प्रशिक्षण संस्थान, वाणिज्य कर, गोमती नगर, लखनऊ।

3- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0 अनुभाग) वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस आशय से कि कार्यालय ज्ञाप मय ज्येष्ठता सूची विभाग की वेबसाइड पर डलवाने का कष्ट करें।

4- पटल प्रभारी स्था0-5(क) को इस निर्देश के साथ कि ज्येष्ठता सूची को मुख्यालय पर कार्यरत समस्त लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को अवलोकित करा दी जाय।

5- पटल प्रभारी स्था-6 सामान्य वा0क0 मुख्यालय।

6- पटल प्रभारी स्था-5(ख) पदोन्नति वा0क0 मुख्यालय।

**<u>संलग्नक// ज्येष्ठता सूची।</u>**

ह0/-
( हरि शंकर सिंह )
असि0कमिश्नर(स्था0अराज0) वाणिज्यकर,
मुख्यालय, लखनऊ।